न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 164 / 2025 बउनवानी शैलेन्द्र वर्मा **बनाम** उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
निवासी आलनपुर तहसील जिला सवाई माधोपुर

Appeal Number- 321901122919484

GCMS No-2025/ 333

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 27.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***"राधेश्याम,बृजमोहन कोली द्वारा ब्रहमपुरी कोलीयान मंदिर के पास किये जा रहे निर्माण की नक्शा प्रति, जारी निर्माण स्वीकृति व नगरपालिका रिकार्ड मे भूमि का टाईटल की प्रति, किये गये निर्माण कार्य के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना "*** उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः सूकाअ / 2024 / 1380 दिनांक 12.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 27.6.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध नगर परिषद प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र तत्समय जरिये पत्रांक 1098 दिनांक 7.7.2025 से आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित की जा चुकी है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.6..2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर से होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र तत्समय जरिये पत्रांक 1098 दिनांक 7.7.2025 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर को अन्तरित किया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर से होने के कारण उक्त सूचना उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपीलान्ट उक्त सूचना आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर के कार्यालय से प्राप्त करे यदि अपीलान्ट को नगर परिषद से उक्त सूचना प्राप्त नही होती है तो सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करे। नगर परिषद के विरूद्ध प्रथम अपील की सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर